न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 570 सन 2018
अनवान :–

1. जयकिशन पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र तारूराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. सीता 3 पार्वती 4 मंजू 5 सुनिता पुत्रीयान देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 27.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी खाता संख्या 6/6 टोपरिया के खाता संख्या175/21मु0न0 0 किला न0 0 की 0.1520हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 352/387(75) के किला न0 6/0.2150 ,13/0.253 ,14/0.253 ,15/.215 ,16/0.215 ,17/0.253 ,25/0.215 कुल किता 7 की 1.7710हैक जिसमें सयुक्त तौर से 1/6 हिस्से देवीलाल पुत्र तारूराम एवं रोही मोजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 7/5 की कुल 10.8750हैक भूमि जिसके सयुक्त तोर से देवीलाल पुत्र तारूराम का 1/6 हिस्सा इसी प्रकार रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 8/7 की कुल 1.0120हैक में सयुक्त तौर से देवीलाल का 1/12 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 9/48/8 की कुल 4.8050हैक जिसमें सयुक्त तौर से 1/6 हिस्से मनीराम पुत्र तारूराम व चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 4/3 की कुल 1.7700हैक जिसमें सयुक्त तौर से 1/6 हिस्से देवीलाल पुत्र तारूराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा तारूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है वाद भूमि विरास्तन से वादी के पिता के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रवितादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा तारूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5–ए बारानी के खाता संख्या 6/6 की कुल 1.770है व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 7/5 की कुल 10.8750हैक व रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 9/48/8 की कुल 4.8050हैक व रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 4/3 की कुल 1.770हैक व रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 8/7 की कुल 1.0120हैक जो सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 27.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official